549

/2012

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

R-622-I/12

1. शंकरसिंह पिता रतनसिंह राजपुत
2. इंदरसिंह पिता रतनसिंह राजपुत
3. गोपालसिंह पिता रतनसिंह राजपुत
4. महेन्द्रसिंह पिता रतनसिंह राजपुत

निवासीयान पहलवान बाबा की दरगाह
132, के.वी. सब स्टैशन,प्रकाश नगर
रतलाम म.प्र. ——प्रार्थीगण

विरूद्ध

ओमप्रकाश पिता बाबुलाल सोलंकी
निवासी जावरा फाटक रतलाम म.प्र ——प्रतिप्रार्थी

श्री ... के बाजपेयी आदि द्वारा आज दि. 19-3-12 को प्रस्तुत
19-3-12
... ऑफ कोर्ट ... म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.

मान्यवर महोदय

हम प्रार्थीगण विद्वान अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर जिला रतलाम (अमरसिंह बघेल) द्वारा प्र.क्रं. 17 निगरानी/11–12 मे पारित आदेश दिनांक 21.2.12 से असंतुष्ट होकर अन्य आधारो के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारो पर यह निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

बाजपेयी
19-3-2012

—– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य –

प्रकरण के संक्षीप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिप्रार्थी ने विद्वान श्रीमान तहसीलदार के न्यायालय मे ग्राम सेमलिया स्थित कृषिभूमि के संबध मे नामान्तरण हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया था इस संबध मे प्रार्थीगण द्वारा आपत्ति ली गई की प्रतिप्रार्थी व उसके पिता बाबुलालजी का प्रतिप्रार्थी के परिवार से कोई संबध नही हे और प्रतिप्रार्थी के पिता बाबुलालजी के नाम खाते मे व्यर्थ रूप से चढा हुआ है वादग्रस्त कृषिभूमि मे और प्रार्थीगण के परिवार से ओमप्रकाश का कोई संबंध नही है ...

3

XXIX(a)-BR(H)-11

549

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-622-एक/12 **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री एस.के. बाजपेयी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	